महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय
अजमेर
प्रबन्ध बोर्ड की 90वीं बैठक
कार्यवृत्त (Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 90वीं बैठक दिनांक 29 अगस्त, 2016 को अपराह्न 2:00 बजे बृहस्पति भवन स्थित अशोका कक्ष (प्रबन्ध बोर्ड कक्ष) में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो. कैलाश सोडाणी — अध्यक्ष
   कुलपति
2. श्री शत्रुघ्न गौतम, , विधायक केकडी — सदस्य
   (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)
3. डॉ. पी.के. शर्मा,
   (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)
4. श्री भरत राम कुम्हार — सदस्य
   (राजस्थान सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)
5. प्रो. बी.पी. सारस्वत — सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)
6. प्रो. लक्ष्मी ठाकुर — सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)
7. प्रो. भारती जैन — सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)
8. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर — सदस्य
   (प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि)
9. कुलसचिव — सदस्य सचिव

नोट : (मास्टर मामन सिंह-विधायक, प्रमुख शासन सचिव-शिक्षा, प्रमुख शासन सचिव-आयोजना, आयुक्त-कॉलेज शिक्षा बैठक में उपस्थित नहीं हो सके)

सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए माननीय कुलपति महोदय ने प्रबन्ध बोर्ड के सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् कुलसचिव को प्रबन्ध बोर्ड की आगे की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया :-

मद	विवरण	अनुभाग/विभाग
मद सं. 1	प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 09.02.16 को सम्पन्न हुई 89वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 13 (89) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2015/5766-77 दिनांक 09.02.16 के द्वारा प्रेषित की गई ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।**	

मद सं. 2	विद्या परिषद की दिनांक 10 जून, 2016 को सम्पन्न हुई 53वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-1)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**बैठक के कार्यवृत्त पर विचारोपरान्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।**	
मद सं. 3	कार्यालय आदेश क्र. एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2015/21583 दिनांक 11.3.2015 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-2)** द्वारा प्रबंध बोर्ड की दिनांक 23-12-2014 की बैठक की कार्य सूची के मद संख्या 51 में विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर से अनुबन्ध के संबंध में प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं प्रस्तावों पर विचार करके समुचित प्रस्ताव दिये जाने हेतु प्रबंध बोर्ड के निर्णयानुसार निम्नानुसार समिति का गठन किया गया :- **1.** प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा, सदस्य प्रबंध बोर्ड - संयोजक **2.** प्रो. जी.के. कोहली, सदस्य प्रबंध बोर्ड - सदस्य **3.** डॉ. रवीन्द्र भारती, उपकुलसचिव (संस्था.) - सदस्य सचिव समिति के सदस्य सचिव डॉ. रवीन्द्र भारती, उपकुलसचिव (संस्था.) के सेवानिवृत्त होने पर कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2016/3449 दिनांक 28-01-2016 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-3)** द्वारा डॉ. रविन्द्र भारती के स्थान पर उपकुलसचिव (संस्थापन) को सदस्य सचिव बनाया गया । प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा एवं प्रो. जी.के. कोहली वर्तमान में प्रबंध बोर्ड के सदस्य नहीं है साथ ही संस्थापन अनुभाग में भी वर्तमान में सहायक कुलसचिव कार्यरत है। अतः समिति के पुनर्गठन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।	**संस्थापन**
निर्णय	**बोर्ड ने विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थाान, बैंगलोर से अनुबन्ध के सम्बन्ध में पूर्व समिति के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर निम्नानुसार नवीन समिति का गठन किया :** **1. डॉ. पी.के. शर्मा, सदस्य - प्रबन्ध बोर्ड, संयोजक** **2. प्रो. भारती जैन, सदस्य - प्रबन्ध बोर्ड, सदस्य** **3. डॉ. अमित कुमार गुप्ता, सहायक कुलसचिव(संस्था)- सदस्य सचिव**	
मद सं. 4	**माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करनाः-** **(1) <u>प्रतिवेदन है कि</u>** राजस्थान सरकार Department of Personnel (A-Gr II) की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए-11/91 जयपुर दिनांक 28-06-2008 के परिप्रेक्ष्य में माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर पद के पदनाम परिवर्तित करने के संबंध में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/ 2016/10738 दिनांक 27-04-2016 की पुष्टि हेतु मद प्रबंध बोर्ड के प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-4)**	**संस्थापन**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(2) प्रतिवेदन है किः- 1. प्रबंध बोर्ड ने निर्णय संख्या 20 दिनांक 03-12-2012 में केवल UGC Regulations on minimum qualifications for	**संस्थापन**

	appointment of teachers and other academic staff in Universities & Colleges and measures for the maintenance of standards in higher education 2010 में वर्णित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, डिप्टी-लाइब्रेरियन असिस्टेंट लाइब्रेरियन, डायरेक्टर- फिजिकल एज्यूकेशन, डिप्टी डायरेक्टर-फिजिकल एज्यूकेशन एण्ड असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एज्यूकेशन के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक/वांछित योग्यताओं व अर्हताओं को तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्तमान किया है। अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो रैग्यूलेशन 30 जून, 2010 से प्रभावी हो चुका था, उसमें निहित शैक्षणिक योग्यताओं को सीधी भर्ती एवं कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत् पदोन्नति के उद्देश्य से इस विश्वविद्यालय में दिनांक 08-01-2013 से प्रवृत्त किया गया है। 2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त सन्दर्भित रैग्यूलेशन में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु निर्धारित प्रक्रिया है, विश्वविद्यालय में प्रवृत्त नहीं किया है। 3. अतः माननीय कुलपति महोदय द्वारा, विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदत्त आदेशों की अनुपालना में निम्नांकित कार्यवाही की गई है:- (क) प्रबंध बोर्ड की निर्णय संख्या 20 दिनांक 03-12-2012 के निर्णय को 30 जून, 2010 से प्रवृत्त मान्य किया है। (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक एफ 3-1/2009 दिनांक 30 जून, 2010 के बिन्दु संख्या 1 को अभिलिखित और स्वीकार किया। (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त सन्दर्भित रैग्यूलेशन 2010 के Clause 6-SELECTION PROCEDURE में वर्णित प्रावधानों 6.0.1 से 6.8.0 और उनमें वर्णित Appendix और Tables में से जो प्रावधान विश्वविद्यालय के पदों के सन्दर्भ में प्रासंगिक है, उस सीमा तक उन्हें दिनांक 30 जून, 2010 से इस विश्वविद्यालय में प्रवृत्त मान्य किया। (घ) उक्तानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2015/21948 दिनांक 01-07-2015 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-5)** जारी की गई।	
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(3) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार डॉ. नवलकिशोर उपाध्याय, सेवानिवृत्त प्राध्यापक की निदेशक-शोध के रूप में संविदा पर पुनर्नियुक्ति की अवधि पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/2014/19755 दिनांक 10.09.2014 में वर्णित शर्तो के आधार पर एवं आदेश क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/2015/38877 दिनांक 14.12.2015 के क्रम में दिनांक 10.06.2016 से 09.09.2016 तक बढ़ाई गई है । इस हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1( )संस्था/मदसविवि/2016/16024 दिनांक 24.06.2016 प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-6)**	**संस्थापन**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	

	(4) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार प्रो. के.सी. शर्मा (सेवानिवृत्त प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान) निवासी ए-407, नाका मदार, यू.आई.टी. कॉलोनी, अजमेर को कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/ 2008/ 51064 दिनांक 19.11.2008 में वर्णित प्रावधानों एवं शर्तो के अध्यधीन वनस्पति विज्ञान विज्ञाग में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में रूपये 25,000/-प्रतिमाह पर कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष हेतु नियुक्ति प्रदान की गई । तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/ 2015/ 37773 दिनांक 01.12.2015 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-11)**	**संस्थापन**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(5) <u>प्रतिवेदन है कि</u> भवन निर्माण समिति की 47वीं बैठक दिनांक 19.5.2016 के मद संख्या 3-13 विश्वविद्यालय के 21 भवनो के पुनरुद्धार एंव मरम्मत (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA मानव विकास संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत) के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार, विश्वविद्यालय के अधिनियम 19(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माननीय कुलपति महोदय द्वारा आदेश दिनांक 31.5.2016 से प्रदान की गयी वित्तीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 3 (432)/ सहा.अभि./मदसविवि/ 2016/15597 दिनांक 18.6.2016 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-12)**	**अभियन्ता कार्यालय**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(6) <u>प्रतिवेदन है कि</u> भवन निर्माण समिति की 47वीं बैठक दिनांक 19.5.2016 के मद संख्या 3-13 "Construction of building of Remote Sensing and Geo-informatics Department at MDS University, Ajmer" (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA मानव विकास संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत) के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार, विश्वविद्यालय के अधिनियम 19 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माननीय कुलपति महोदय द्वारा आदेश दिनांक 31.5.2016 से प्रदान की गयी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 3 (401)/सहा.अभि./मदसविवि/ 2016/14240 दिनांक 11.6.2016 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-13)**	**अभियन्ता कार्यालय**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(7) <u>प्रतिवेदन है कि</u> भवन निर्माण समिति की 47वीं बैठक दिनांक 19.5.2016 के मद संख्या 3-13 Construction of building of Auditorium (980 Seater) at MDS University Ajmer (Civil Work) (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA मानव विकास संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत) के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार, विश्वविद्यालय के अधिनियम 19 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माननीय कुलपति महोदय द्वारा आदेश दिनांक 31.5.2016 से प्रदान की गयी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 3 (402)/सहा.अभि./मदसविवि/2016/14247 दिनांक 11.6.2016 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-14)**	**अभियन्ता कार्यालय**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	

	(8) <u>प्रतिवेदन है कि</u> भवन निर्माण समिति की 47वीं बैठक दिनांक 19.5.2016 के मद संख्या 3-13 "Furnishing of Auditorium (980 Seater) at MDS University Ajmer (Furnishing work including Air Condeitioning, False Ceiling, Architectural Acoustics Projectors Etc.)" (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA मानव विकास संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत) के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार, विश्वविद्यालय के अधिनियम 19(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माननीय कुलपति महोदय द्वारा आदेश दिनांक 22.6.2016 से प्रदान की गयी वित्तीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 3(401)/सहा.अभि/मदसविवि/2016/17473 दिनांक 05.07.2016 जारी किया गया ।**(कार्यसूची का परिशिष्ठ-15)**	**अभियन्ता कार्यालय**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(9) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय का सातवां दीक्षान्त समारोह, जो कि दिनांक 1 अगस्त, 2016 को आयोजित किया गया था, के संबंध में उक्त समारोह हेतु विद्या परिषद् की 53वीं बैठक दिनांक 10 जून, 2016 में उपाधियों की ग्रेस पास के संबंध में लिये गये निर्णय एवं उक्त सातवें दीक्षान्त समारोह में वितरित किये गये 39 स्वर्ण पदक एवं 63 विद्या वाचस्पतियों (शोध) की उपाधियां योग्य अभ्यर्थियों को वितरित की गयी थीं एवं उक्त समारोह के आयोजन की सहमति जो कि पूर्व में दिनांक 28 जुलाई, 2016 को आयोजित होने वाली प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में ली जानी थी किन्तु अपरिहार्य कारणों से उक्त प्रबन्ध बोर्ड की बैठक स्थगित किये जाने के फलस्वरूप माननीय कुलपति महोदय द्वारा महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अधिनियम की धारा 19 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त दीक्षान्त समारोह में स्वर्ण पदक एवं विद्या वाचस्पति (शोध) की उपाधियों के वितरण की अनुमति प्रदान की गई थी । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-19)**	**दीक्षान्त**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(10) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 03.07.2012 के द्वारा विश्वविद्यालय की वर्ष 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया है । अनुमोदन पश्चात् वार्षिक प्रतिवेदन की 330 प्रतियां विधानसभा पटल पर रखने हेतु दिनांक 13.07.2012 को संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रेषित कर दी गई है । अतः माननीय कुलपति महोदय के आदेश एवं वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-20)**	**सामान्य प्रशासन**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(11) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय की वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया है । अनुमोदन पश्चात् वार्षिक प्रतिवेदन की 325 प्रतियां विधानसभा पटल पर रखने हेतु दिनांक 15.03.2016 को संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रेषित कर दी गई है । अतः माननीय कुलपति महोदय के आदेश एवं वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-21)**	**सामान्य प्रशासन**

निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(12) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार निम्न शिक्षकों की सेवाएं कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसवि/2008/51064 दिनांक 19.11.2008 वर्णित प्रावधानों एवं शर्तों के अध्यधीन विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षक के रूप में ली गई, तद्नुसार निम्नानुसार कार्यालय आदेश जारी किए गए : **(कार्यसूची का परिशिष्ठ - 22)**	

क्र	शिक्षक का नाम	पद एवं विभाग जहां नियुक्ति दी गई	मानदेय	जारी कार्यालय आदेश
1	डॉ. राजकुमार गोधा	सेवानिवृत्त शिक्षक (वाणिज्य विभाग)	रू.20,000/-	एफ.1(73) संस्था/ मदसविवि/ 2016/21801 दिनांक 20-08-16, 2014/18953-57 दिनांक 02-09-2014
2	डॉ. बी.पी. जोशी	सेवानिवृत्त शिक्षक (वाणिज्य विभाग)	रू.20,000/-	एफ.1(73) संस्था/ मदसविवि/ 2016/21795 दिनांक 20-8-16, 2015 /30060-64 दिनांक 26-08-15, 2014/18947-51 दिनांक 2-9-14
3	डॉ. राधे श्याम अग्रवाल	सेवानिवृत्त शिक्षक (विधि विभाग)	रू.20,000/-	एफ.1( ) संस्था/ मदसविवि/ 2016 /4713 दिनांक 27-07-16, 2015/ 23535 दिनांक 09-07-15,2014/ 22815 दिनांक 08-10-14
4	डॉ. रामकिशोर सिंह अरोड़ा	सेवानिवृत्त शिक्षक (शिक्षा विभाग)	रू.20,000/-	एफ.1( ) संस्था/ मदसविवि/ 2015/38421 दिनांक 5-12-15, 21280 दिनांक 23-9-14
5	डॉ. स्नेहलता शर्मा	सेवानिवृत्त शिक्षक (राजनीति विज्ञान विभाग)	रू.20,000/-	एफ.1( )संस्था/ मदसविवि/ 2015/ 29846-50 दिनांक 24-08-15
6	प्रो. जी.एस. व्यास	सेवानिवृत्त शिक्षक (इतिहास विभाग)	रू.25,000/-	एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2015/ 29851 दिनांक 24-08-15, 2014/12785-804 दिनांक 09-07-2014, 2013/13697 दिनांक 22-04-2013,2012/ 27556-85 दिनांक 14-08-12
7	डॉ. नवल किशोर भाभड़ा	सेवानिवृत्त शिक्षक (हिन्दी विभाग)	रू.20,000/-	एफ.1( ) संस्था/मदसविवि/2015/ 27453-57 दिनांक 06-08-15
8	डॉ. एम.एल. वर्मा	सेवानिवृत्त शिक्षक (वनस्पति विज्ञान विभाग)	रू.20,000/- (सत्र 2011-12 का मानदेय रू. 10,000/-)	एफ.1(73)संस्था/मदसविवि/2014/ 12778 दिनांक 09-07-2014, 2013/23350 दिनांक 9-7-2013, 2012/27593-97 दिनांक 14-08-2012, 29894-99 दिनांक 19-08-11
9	डॉ. मूल सिंह कच्छावा	सेवानिवृत्त शिक्षक/विजिटिंग फेलो (विधि विभाग)	रू.20,000/-	एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2013/ 6183 दिनांक 27-08-13, 2012/29296-01 दिनांक 8-9-12,2012/20366-20372 दिनांक 2-6-2012

	10	डॉ. जी.जी. सैनी	सेवानिवृत्त शिक्षक (वनस्पति विज्ञान विभाग)	रू.20,000/- (2011-12 का मानदेय रू.0,000/-)	एफ.1(73)संस्था/मदसविवि/2013 /23319 दिनांक 09-07-2013, 2012/27587-91 दिनांक 14-08-12, 2011/29900 दिनांक 19-08-2011	
निर्णय	**पुष्टि की गई।**					
मद सं. 5	विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र में अंशकालीन आधार पर चिकित्सकीय सेवायें देने हेतु नियुक्त अंशकालीन होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ. पी.के. माथुर का मानदेय रु.2500/- प्रति माह एवं वाहन भत्ता राशि रु.500/- प्रति माह दिनांक 01-04-2008 से प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 13-10-2008 के मद संख्या 19 के निर्णयानुसार स्वीकृत किया गया था। विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र में अंशकालीन आधार पर चिकित्सकीय सेवायें देने हेतु नियुक्त वैद्य श्री चन्द्रकांत चतुर्वेदी एवं फिजिशियन डॉ0 अशोक गुप्ता को प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 09-06-2015 के मद संख्या 10 के निर्णयानुसार मानदेय प्रति माह 7000/- रूपये तथा वाहन भत्ता 1000/- रूपये प्रति माह दिनांक 09-06-2015 से स्वीकृत किया गया। डॉ0 पी0 के0 माथुर द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत दो अन्य अंशकालीन चिकित्सक (डॉ0 अशोक गुप्ता, होम्योपैथिक एवं वैद्य श्री चन्द्रकांत चतुर्वेदी, आयुर्वेदिक चिकित्सक) को देय मानदेय रूपये 7000/- प्रति माह तथा वाहन भत्ता रूपये 1000/- प्रति माह के अनुसार ही मानदेय दिये जाने की प्रार्थना की है जो साम्या (Equity) के सिद्धान्त के अनुरूप भी है। मद प्रबंध बोर्ड के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।		**संस्थापन**
निर्णय	**विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र में अंशकालीन आधार पर चिकित्सीय सेवाएँ देने हेतु नियुक्त होम्योपैथिक चिकित्सक डा0 पी.के.माथुर को स्वास्थय केन्द्र में कार्यरत दो अन्य अंशकालीन चिकित्सकों के अनुरूप मानदेय रू.7000/- प्रति माह तथा वाहन भत्ता रु.1000/- प्रतिमाह, साम्य के सिद्धांत के अनुरूप तथा विधिक राय के दृष्टिगत 01 सितम्बर, 2016 से दिये जाने का बोर्ड ने निर्णय किया।**		
मद सं. 6	माननीय कुलपति महोदय द्वारा राष्ट्र भाषा हिन्दी को बढ़ावा देने हेतु विश्वविद्यालय का समस्त दैनिक कार्य हिन्दी भाषा में किये जाने की नीति निर्धारित की गयी थी । चूंकि विश्वविद्यालय का कार्य लगभग दोनों भाषाओं में होता है अतः इस समस्या के समाधान हेतु वित्त समिति की बैठक दिनांक 20.04.1995 की अनुशंसा संख्या 07 पर दो अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत करने की अनुशंषा की गयी जिसका अनुमोदन प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 22.04.1995 के निर्णय संख्या 2/13 पर किया गया । प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 14.07.2000 के निर्णय संख्या 11 पर द्वि-भाषीय परीक्षा के आयोजन हेतु पाठ्यक्रम तैयार किये जाने के माननीय कुलपति महोदय के आदेश की पुष्टि की गयी । प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय की पालना में द्वि-भाषी परीक्षा का आयोजन दिनांक 23.04.2007 को कराया गया एवं इस परीक्षा में प्रविष्ठ हुए 19 निजी सहायक/स्टेनोग्राफर्स में से उत्तीर्ण 09 निजी सहायक/स्टेनोग्राफर्स को कार्यालय आदेश क्रमांक 15105-17 दिनांक 31.07.2007 के द्वारा दो अग्रिम वेतनवृद्धि, उनकी नियमित वेतनवृद्धि के अतिरिक्त देकर उनका वेतन नियतन कर दिया गया। उक्त आदेश की पालना में उत्तीर्ण कार्मिकों द्वारा अपने विभाग/अनुभाग का हिन्दी		**संस्थापन**

	एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है । विश्वविद्यालय में छठा वेतनमान दिनांक 01.09.2006 से लागू किए जाने के समय वित्त एवं लेखा अनुभाग द्वारा द्वि-भाषी परीक्षा उत्तीर्ण निजी सहायक/स्टेनोग्राफर्स को द्वि-भाषी परीक्षा का लाभ देते हुए इनका वेतन नियतन भारित करने पर छठे वेतनमान में वेतन नियतन किया जा चुका है । राज्य सरकार द्वारा संशोधित छठा वेतनमान दिनांक 01.01.2006 को विश्वविद्यालय में अंगीकृत/प्रभावशील किये जाने पर जब पुनः इनके वेतन नियतन हेतु पत्रावली लेखा शाखा को भारित करने के लिए भिजवायी गयी तब वित्त एवं लेखा अनुभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि राज्य सरकार के Notification No. F 16 (56) FD (Rules) 98(RPS-98) Dated 06-05-2002 से अनुसूची IV के अग्रिम वेतन वृद्धियों के प्रावधान को डिलिट कर दिया है । संस्थापन अनुभाग द्वारा टिप्पणी की गयी कि- **"Notification No. F 16 (56) FD (Rules) 98(RPS-98-2/2) Dated 06-05-2002 को विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार (प्रबन्ध बोर्ड) ने विश्वविद्यालय में अंगीकृत/प्रभावशील नहीं किया है । अतः प्रबन्ध बोर्ड के सुविचारित निर्णय के क्रम में प्रस्तुत वेतन नियतन का प्रस्ताव विधिसम्मत है, विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार के निर्णयों की सही अनुपालना के रूप में है ।"** प्रकरण में कुलपति महोदय द्वारा विधि परामर्शदाता से विधिक राय मांगी गयी जिसमें उन्होंने राय दी कि- **"उक्त तथ्यों एवं प्रावधानों के विवेचन एवं विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए मेरी राय में शीघ्रलिपिकों को निरन्तर दी जा रही अग्रिम वेतनवृद्धियों को रोकने का कोई युक्तियुक्त औचित्य नहीं है ।"** प्रकरण में उप शासन सचिव (शिक्षा ग्रुप-5) राजस्थान सरकार, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ 6 ( ) विवले-प्रथम/ मदसविवि/ 2015/29898 दिनांक 24.08.2015 प्रेषित कर मार्गदर्शन मांगा गया परन्तु लगभग 09 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ । इस दौरान संबंधित स्टेनोग्राफर्स द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका दायर कर दी, जो विचाराधीन है । कार्यरत स्टेनोग्राफर्स में से 08 स्टेनोग्राफर्स का वेतन नियतन संशोधित छठे वेतनमान में मय ए.सी.पी. के किया जा चुका है जबकि द्वि-भाषीय परीक्षा उत्तीर्ण कार्यरत 08 स्टेनोग्राफर्स/निजी सहायकों को दो अग्रिम वेतनवृद्धि के संबंध में लेखा एवं वित्त अनुभाग की टिप्पणी के कारण छठे वेतनमान में दिनांक 01.01.2006 का वेतन नियतन एवं ए0 सी0 पी0 का लाभ दिया जाना लम्बित है । विश्वविद्यालय के स्टेनोग्राफर्स से संबंधित प्रकरण में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए स्टेनोग्राफर्स को विगत 09 वर्षो से लगातार दी जा रही दो वेतनवृद्धियों के साथ पूर्व की भांति संशोधित छठा वेतनमान (दिनांक 01.01.06) मे वेतन नियतन करने का निवेदन किया है एवं यह भी निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत वाद प्रशासन द्वारा दो वेतनवृद्धि के साथ वेतन नियतन के आदेश जारी करने पर वापस (Withdraw) ले लिया जायेगा । उपरोक्त तथ्यों एवं स्थितियों से अवगत होते हुए प्रबन्ध बोर्ड के सुविचारित निर्णय की अनुपालना में आयोजित द्वि-भाषीय परीक्षा उत्तीर्ण स्टेनोग्राफर्स/निजी सहायको को उनके परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से नियमित वेतनवृद्धि के अतिरिक्त दी गयी दो अग्रिम वेतनवृद्धियों को यथावत दिये जाने पर विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	

निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 22.04.95 के सुविचारित निर्णय की अनुपालना में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित द्वि-भाषी परीक्षा उत्तीर्ण कार्यरत स्टेनोग्राफर्स/निजी सहायक को उनकी नियमित वेतन वृद्धि के अतिरिक्त दो अग्रिम वेतन वृद्धि यथावत् देते हुए दिनांक 1 जनवरी, 2006 से वेतन नियतन किए जाने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं. 7	1. विश्वविद्यालय में सहायक के पद का वेतनमान माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार दिनांक 01-04-1999 से वेतन श्रृंखला रू. 5000-8000 के स्थान पर वेतन श्रृंखला रू. 5500-9000 परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय में कार्यरत ऐसे वरिष्ठ लिपिक जिनकी कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रथम नियुक्ति वर्ष 1989/1990 में हुई थी तथा जिन्होंने 18 वर्ष की सेवा अवधि वर्ष 2007/2008 में पूर्ण कर ली थी तथा तत्समय उन्हें पदोन्नति पद की वेतन श्रृंखला 5000-8000 के अनुसार द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया था, को सहायक के पद की परिवर्तित वेतन श्रृंखला 5500-9000 के अनुसार पूर्व में पूर्ण की गई 18 वर्ष की सेवा अवधि पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने एवं विकल्प परिवर्तन किया जाना है। 2. विश्वविद्यालय में कार्यरत ऐसे कनिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ लिपिक जिनकी प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर वर्ष 1994 एवं वर्ष 1995 में हुई थी एवं ऐसे कार्मिक जिनकी समय-समय पर कनिष्ठ लिपिक के पद पर अनुकम्पात्मक रूप में नियुक्ति हुई है, को 18 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर द्वितीय ए0 सी0 पी0 का लाभ सहायक पद की परिवर्तित वेतन श्रृंखला के अनुसार दिये जाने एवं विकल्प परिवर्तन किया जाना है। **नोटः** पांचवें वेतनमान में चयनित वेतनमान का लाभ पदोन्नति पद के अनुसार देय था। छठे वेतनमान में जो कि दिनांक 01-01-2006 से लागू है में ए0 सी0 पी0 के लाभ के रूप में Next Higher Grade Pay ही देय है। प्रकरण प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	**संस्थापन**
निर्णय	**राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2008 प्रभावी दिनांक 01.01.2006 के अंतर्गत कनिष्ठ लिपिक व वरिष्ठ लिपिक को भी प्रस्तावानुसार विकल्प संशोधित करने की अनुमति दी जाती है।**	
मद सं. 8	कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2015/23558 दिनांक 13-06-2015 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-7)** एवं आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2015/23566 दिनांक 13-06-2015 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-8)** के द्वारा प्रोफेसर एस0 एन0 सिंह के विरूद्ध क्रमशः शोध छात्रा श्रीमती सुमन डूडी के प्रकरण में अनियमितता के आरोप में एवं श्री राधेमोहन शर्मा, चन्द्रवरदाई नगर, अजमेर द्वारा की गई शिकायत क्रम में जारी कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में प्रोफेसर एस0 एन0 सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं अभिलेख के आधार पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रोफेसर सिंह के विरूद्ध वृहद् शास्ति की कार्यवाही के संबंध में कुलपति के स्तर पर विनिश्चयन किये जाने हेतु अनुशंषा प्रदान करने हेतु गठित जांच समिति की अनुशंषा के आधार पर प्रोफेसर सिंह के कृत्य के लिये लघु शास्ति के रूप में उनके कृत्य की निंदा (Censere) की कार्यवाही की गई थी। प्रोफेसर एस0 एन0 सिंह के द्वारा विश्वविद्यालय के आचरण एवं अनुशासन	**संस्थापन**

	नियम B-DISCIPLINE V.19.(2) के प्रावधानान्तर्गत लघु शास्ति के आदेशों के विरूद्ध प्रबंध बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-9)** प्रोफेसर सिंह के द्वारा प्रस्तुत अपील प्रबंध बोर्ड के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**बोर्ड ने प्रकरण की गंभीरता पर मंथन करते हुए इसे एक शिक्षक के आचरण के विपरीत पाते हुए अपील को निरस्त किया।**	
मद सं. 9	विश्वविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कोटे से 20 प्रतिशत पद कनिष्ठ लिपिक के पद पर वेतनमान 950-1680 में न्यूनतम वेतन रूपये 950/- पर पदोन्नति के द्वारा भरे गये उक्त कार्मिकों द्वारा समय-समय पर मांग की गई कि 18 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर ए0 सी0 पी0 का लाभ प्रदान किया जाये। इस सम्बन्ध में संयुक्त शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु कई पत्र प्रेषित किये गये किन्तु प्रत्युत्तर अपेक्षित है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 12-09-2008, 06-10-2008 एवं 31-12-2009 के अनुसार प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करके ए0 सी0 पी0 देने का प्रावधान होने के कारण कार्मिकों को एक पदोन्नति व एक चयनित वेतनमान पूर्व में दिये जाने के कारण नियुक्ति तिथि से 27 वर्ष पूर्ण होने पर ही तृतीय ए0 सी0 पी0 की देयता होती है। इसी क्रम में वित्त एवं लेखा अनुभाग द्वारा पत्रावली पर टिप्पणी अंकित की गई है कि दो पदोन्नति लाभ 18 वर्ष से पूर्व (एक पदोन्नति व एक चयनित वेतनमान) मिल चुके हैं। अतः 18 वर्षीय ए0 सी0 पी0 का अन्य लाभ देय नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक संस्था-2/2012/13417 दिनांक 16-03-2012 के द्वारा ऐसे प्रकरणों में कनिष्ठ लिपिक की कार्य ग्रहण तिथि से ए0 सी0 पी0 हेतु सेवा अवधि की गणना उनकी विश्वविद्यालय में प्रथम नियुक्ति से नहीं करते हुए उनके कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति की तिथि से की जायेगी। लेकिन कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति से पूर्व यदि उन्हें सहायक कर्मचारी वर्ग में किसी भी पद पर पदोन्नति दी गई है अथवा पदोन्नत वेतनमान का लाभ दिया गया है तो उस पदोन्नति/लाभ को ए0 सी0 पी0 के अंतर्गत देय तीन लाभ में सम्मिलित मानते हुए चयनित वेतनमान का लाभ देय होगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कोटे से 20 प्रतिशत कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत कार्मिकों द्वारा निवेदन किया है कि उन्हें भी राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुरूप ए0 सी0 पी0 का लाभ प्रदान किया जाये।	**संस्थापन**
निर्णय	**चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कोटे से 20% कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नत कार्मिकों को राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अनुरूप ए.सी.पी. दिए जाने हेतु बोर्ड ने निम्नानुसार समिति का गठन किया :** **1. प्रो. बी.आर. कुम्हार, सदस्य प्रबंध बोर्ड-संयोजक** **2. प्रो. लक्ष्मी ठाकुर, सदस्य प्रबन्ध बोर्ड - सदस्य** **3. कुलसचिव- सदस्य** **4. वित्त नियन्त्रक - सदस्य** **5. सहा. कुलसचिव (संस्था) - सदस्य सचिव** **उक्त समिति 4 माह में निर्णय कर अपनी रिपोर्ट माननीय कुलपति को सौंपेगी जिसे आगामी प्रबंध बोर्ड की बैठक में रखा जायेगा।**	
मद सं. 10	राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की विभिन्न अपीलों में पारित निर्णयों में शास्ति अधिरोपित की गयी । इन प्रकरणों में	**सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ**

	श्री बी.एल. सुनारिया का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा श्री सुनारिया के पेंशन से वसूली हेतु निदेशक पेंशन विभाग को पत्र प्रेषित किया । आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेशों का विवरण निम्न प्रकार है:-	

क्र.सं.	अपील संख्या	राज. सूचना आयोग, जयपुर द्वारा अधिरोपित कुल शास्ति	वि0वि0 द्वारा उत्तरदायित्व निर्धारण की गयी राशि	संबंधित कार्यालय आदेश का विवरण
1	1117/2010	20,000/-	10,000/-	एफ.1()संस्था/मदसवि/2014/ 20770-80 दिनांक 20.09.14
2	2304/2011	15,000/-	15,000/-	एफ.1()संस्था/मदसवि/2014/ 20782-91 दिनांक 20.09.14
3	4616/2010	15,000/-	3,000/-	एफ.1()RTICell/वसूली/मदसवि/ 2014/21185-202 दि. 20.09.14
4	4617/2010	25,000/-	12,500/-	एफ.1( )संस्था/मदसविवि/ 2014/ 20793-803 दिनांक 20.09.14

श्री सुनारिया द्वारा विश्वविद्यालय के उक्त कार्यालय आदेशों के विरूद्ध सिविल न्यायाधीश अजमेर के समक्ष दीवानी वाद संख्या 96/14 दायर किया गया । इस दौरान दिनांक 17.11.2014 को श्री सुनारिया का देहान्त हो गया । सिविल न्यायाधीश अजमेर द्वारा दिनांक 09.03.2015 को वाद निर्णित किया । श्री सुनारिया की पेंशन से उक्त शास्ति राशि की वसूली हेतु किये गये पत्र व्यवहार में अतिरिक्त निदेशक पेंशन एवं पैंशनर्स वैलफेयर विभाग क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर द्वारा जरिये पत्र क्रमांक अतिनिपें/अ.ज./विविध/15-16/247 दिनांक 05.05.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि- **श्री सुनारिया की मृत्यु हो चुकी है, चूंकि यह व्यक्तिगत वसूली है, प्रक्रियानुसार वसूली पेंशनर के जीवित रहते ही की जा सकती थी, अतः पारिवारिक पेंशन से वसूली किये जाने का नियमों में कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । अतः प्रकरण को अपने स्तर से निष्पादित कराने का कष्ट करावें ।**

वित्त नियंत्रक द्वारा परीक्षण कर सुझाव दिया गया कि अपलेखन की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके संबंध में माननीय कुलपति द्वारा दिनांक 18.05.2016 को पत्रावली पर प्रदत्त आदेशों की पालना में श्री सुनारिया के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित की गयी कुल शास्ति राशि 40,500/- के अपलेखन के संबंध में प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-10)**

निर्णय	**राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर द्वारा पूर्व कुलसचिव श्री बी.एल. सुनारिया पर विभिन्न अपीलों में पारित निर्णयों में शास्ति अधिरोपित की जाकर राशि रु. 40500/- वसूले जाने का आदेश दिया था। श्री सुनारिया की बाद में मृत्यु हो गई थी। बोर्ड ने अतिरिक्त निदेशक पेंशन एवं पैंशनर्स वैलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर के पत्र का अवलोकन किया जिसमें मृत्यु उपरान्त पारिवारिक पेंशन से वसूली किए जाने का नियमों में कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं होने तथा विधिक राय को दृष्टिगत रखते हुए अपलेखन का निर्णय लिया। अधिरोपित शास्ति वि0वि0 द्वारा देय होगी तथा वस्तुस्थिति से राज्य सूचना आयोग एवं राज्य सरकार को अवगत कराये जाने का निर्णय भी लिया गया।**	
मद सं. 11	विश्वविद्यालय में पुस्तकालय में कार्यरत पुस्तक परिचरों ने राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा दिनांक 06-09-2001 को विभिन्न पदों की भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति	**संस्थापन**

	संलग्न कर विज्ञप्ति में वर्णित पुस्तक परिचर की वेतन श्रृंखला रूपये 2950-75-4075-80-4475 को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में पूर्व की भांति परिवर्तित कर लागू करने का निवेदन किया है। लेखा एवं वित्त अनुभाग की टिप्पणी के अनुसार नये नियमों के तहत राज्य सरकार से स्वीकृत वेतनमान से अधिक देय नहीं है। प्रकरण प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रकरण निर्णय सं0 9 के अनुरूप गठित कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं. 12	विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में भाग लेने हेतु प्रबन्ध बोर्ड एवं विद्या परिषद् के माननीय सदस्यगण को आमंत्रित किया जाता है । उक्त सम्बन्ध में बाहर से आने वाले माननीय सदस्यगणों को विश्वविद्यालय वित्त एवं लेखा नियमानुसार यात्रा एवं दैनिक भत्ता दिए जाने बाबत् मद प्रबन्ध बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है ।	**दीक्षान्त**
निर्णय	**दीक्षांत समारोह में भाग लेने हेतु प्रबंध बोर्ड के सदस्यों के समान ही विद्या परिषद के सदस्यों को जो अजमेर से बाहर से आते हैं को विश्वविद्यालय वित्त एवं लेखा नियमानुसार यात्रा एवं दैनिक भत्ता दिये जाने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं. 13	प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 20-12-2002 के निश्चय संख्या 03 की अनुपालना में राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.16(5)एफ.डी. रूल्स/1998 दिनांक 07-08-1998 के अनुसार वरिष्ठ तकनीकी सहायक एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक के वेतनमान जिसे प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में भी लागू कर दिया गया है। दिनांक 01-07-1998 से महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में भी प्रभावी कर दिया गया। इसके अनुसार वरिष्ठ तकनीकी सहायकों को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद 7500-12000 तथा अगले 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 8000-13500 एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सीनियर स्केल 6500-10500 एवं सलेक्शन स्केल 7500-12000 08 वर्ष की सेवा सीनियर स्केल में पूर्ण करने पर प्रदान किया जायेगा। प्रबंध बोर्ड के निर्णय की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( ) संस्था/मदसविवि/2003/1366 दिनांक 25-01-2003 जारी किया गया तदुपरान्त विश्वविद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ तकनीकी सहायक एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक का पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 में दिनांक 01-09-2006 एवं 01-01-2006 से वेतन नियतन किया जाकर भारितार्थ लेखा एवं वित्त अनुभाग को भिजवाया गया। लेखा एवं वित्त अनुभाग द्वारा वेतन नियतन प्रस्ताव को सही पाया किन्तु ऑडिट आक्षेप के कारण भारित नहीं किया। अंकेक्षण दल द्वारा लगाया गया आक्षेप विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर के पश्चात् लेखा परीक्षा अधिकारी सा. एवं सा. क्षे.III(एफ.1) द्वारा पत्रांक 1756 दिनांक 09-07-2013 से आक्षेप को निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 01-09-2006 एवं 01-01-2006 के वेतन नियतन प्रस्ताव भारितार्थ प्रस्तुत किये गये जिस पर लेखा एवं वित्त अनुभाग द्वारा टिप्पणी की गई कि इस विश्वविद्यालय में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश संख्या एफ. 16(5)एफ.डी. रूल्स/1998/जयपुर दिनांक 07-08-1998 का हवाला दिया है किन्तु इस आदेश में जे0 टी0 ए0/एस0 टी0 ए0 के पदनाम का उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता है कि आपत्ति करते हुए नोट लगाया। उक्त आपत्ति के क्रम में कुलसचिव महोदया द्वारा निम्न टिप्पणी की गई राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 की	**संस्थापन**

	शिड्यूल (Schedule) "B" में चिकित्सा विभाग (Medical Deptt.) के अंतर्गत IV (Other Posts) में S. No. 110 पर Sr. Technical Assistant (STA) की रनिंग पे बैण्ड एवं ग्रेड पे (9300-34800) ग्रेड पे 4200/- दर्शाई गई है तथा Technical Assistant का S.No. 93 to 102 पर है इसमें ग्रेड पे 3600/- दर्शाई गई है। (JTA नहीं है) उक्त वेतन श्रृंखला चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित है। प्रत्येक पदों की विभागवाईज वेतनमान की स्वीकृति राज्य सरकार से अनुमोदित होना आवश्यक होता है इस कारण उक्त दोनों पदों के वेतनमान राज्य सरकार से अनुमोदित नहीं होने के कारण प्रकरण राज्य सरकार से उक्त दोनों पदों के लिये वेतनमान व चयनित वेतनमान के लिये मार्गदर्शन मांगना उचित होगा। उक्त टिप्पणी के क्रम में संयुक्त सचिव शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2016/609 दिनांक 12-01-2016 प्रेषित किया गया जिसका प्रत्युत्तर प्राप्त होना अपेक्षित है। इस क्रम में लेख है कि 1987 में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर की स्थापना में राज्य सरकार ने जिन पदों के सृजन की स्वीकृति दी उनमें इस विश्वविद्यालय में पुस्तकालय स्थापित करने के लिये उन्हीं पदनामों को स्वीकृत किया जो राजस्थान विश्वविद्यालय में सृजित थे। राज्य सरकार ने उनके कोई वेतनमान निर्धारित नहीं किया क्योंकि राज्य सरकार में वे पद होते ही नहीं है इसलिये उन पदों का वेतनमान वही निर्धारित रहा जो राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर या जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर में था। उपरोक्त तथ्यों एवं स्थिति से अवगत होते हुए एस0 टी0 ए0 एवं जे0 टी0 ए0 को ए0 सी0 पी0 का लाभ देते हुए वेतन नियतन के संबंध में प्रकरण प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रस्ताव को अनुमोदित किया।**	
मद सं. 14	समस्त प्रयोगशाला सहायकों ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में प्रयोगशाला सहायकों को चौथे वेतन आयोग के अनुसार वेतन श्रृंखला 1200-2050 के स्थान पर वेतन श्रृंखला 1400-2600 प्रदान की जाये। लेखा एवं वित्त अनुभाग द्वारा उक्त वेतन श्रृंखला दिये जाने के संबंध में टिप्पणी की है कि पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में कॉलेज शिक्षा (सर्बोडिनेट सर्विस) में प्रयोगशाला सहायक का वेतनमान 5200-20000 में ग्रेड पे 2400/- जिसके सामने पूर्व की वेतन श्रृंखला 4000-6000 का वर्णन है। 4000-6000 का वेतनमान इन्हें पूर्व के चतुर्थ वेतनमान (पुनरीक्षित वेतनमान 1989) में 1200-2050 से परिवर्तित हुई है। कार्मिक द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान 1989 में 1400-2600 का वेतनमान दिये जाने की मांग प्रासंगिक नहीं है। प्रबंध बोर्ड की 54वीं बैठक दिनांक 28-12-2002 के निर्णय संख्या 03 की अनुशंषा संख्या 08 एवं 09 में जिन पदों की वेतन श्रृंखला प्रदेश के दो या दो से अधिक विश्वविद्यालय संशोधित कर चुके हैं, उन पदों की वेतन श्रृंखला तदनुसार इस विश्वविद्यालय में भी संशोधित करने का निर्णय किया गया था। राज्य के दो विश्वविद्यालय क्रमशः राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा प्रयोगशाला सहायकों को वेतन श्रृंखला 1400-2600 दिये जाने के संबंध में आदेश जारी किये जा चुके हैं जिसके आधार पर प्रबंध बोर्ड की अनुशंषानुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों ने वेतन श्रृंखला 1200-2050 के स्थान पर 1400-2600 देने हेतु निवेदन किया है।	**संस्थापन**

	उपरोक्त तथ्यों एवं स्थिति से अवगत होते हुए प्रयोगशाला सहायकों को वेतन श्रृंखला 1200-2050 के स्थान पर वेतन श्रृंखला 1400-2600 देने के संबंध में प्रकरण प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**निर्णय सं. 9 में गठित समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं. 15	स्व. श्री शाहजहाँ खान जो विश्वविद्यालय में सहायक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे का आकस्मिक निधन दिनांक 05.06.2006 को हो गया था। अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु स्व. श्री शाहजहाँ खान की पत्नि श्रीमती मुमताज बानो से प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 25.04.2016 में उन्होनें उल्लेख किया है कि उनके पति की मृत्यु के समय उनका पुत्र अव्यस्क होने के कारण अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु पात्र नहीं था । चूँकि उनका पुत्र श्री मौहम्मद आसिफ खान माह जनवरी 2016 में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर व्यस्क हो गया है, अतः अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाये । राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एफ.5 (51)कार्मिक/क-2/88 दि. 11.09.2002 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की दिनांक से 90 दिवस के भीतर अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु आवेदक द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है । इस क्रम में स्व. श्री शाहजहाँ खान की पत्नी द्वारा निर्धारित समय सीमा में शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि अनुकम्पात्मक नियुक्ति उनके पुत्र श्री मौहम्मद आसिफ खान को व्यस्क होने पर दी जाय, किन्तु तत्समय इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया । अतः मानवीय आधार पर नियमों में शिथिलता बरतते हुए उक्त प्रकरण में प्रार्थिया श्रीमती मुमताज बानो की प्रार्थना पर उनके पुत्र श्री मौहम्मद आसिफ खान की 18 वर्ष की आयु माह जनवरी 2016 में पूर्ण हो जाने पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु आयु सीमा में छूट प्रदान किये जाने के लिए प्रबन्ध बोर्ड में मद विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	**संस्थापन**
निर्णय	**मानवीय आधारों पर नियमों में शिथिलता प्रदान करने का निर्णय लेते हुए स्व श्री शाहजहां खान के पुत्र श्री मोहम्मद आसिफ खान को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं. 16	विश्वविद्यालय में कार्यरत ऐसे सहायक कर्मचारी जिन्हें स्थिर वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दिनांक 6.12.1995 से न्यूनतम वेतन एवं नियमानुसार देय अन्य भत्तों पर नियुक्ति प्रदान की गई थी, के द्वारा नियुक्ति दिनांक 6.12.1995 से 9, 18 एवं 27 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. का लाभ प्रदान किये जाने हेतु सहायक कर्मचारियों द्वारा मांग की गई है । **इस संबंध में पूर्व में प्रबंध मंडल द्वारा पारित निर्णय निम्नानुसार हैं-** (अ) प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 06.12.95 के मद संख्या 27 के निर्णयानुसार दिनांक 31 मई, 1994 तक सहायक कर्मचारी पद पर स्थिर वेतन के आधार पर रखे गये कर्मचारियों को दिनांक 06.12.95 से इनके पदो के लिए स्वीकृत वेतनमान का न्यूनतम वेतनमान रू. 750-940 एवं नियमानुसार देय अन्य भत्ते दिये जाने के आदेश के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( ) संस्था/मदसविवि/95/17526 दिनांक 15.12.95 जारी किया गया । इन कर्मचारियों को कोई वेतन वृद्धि देय नहीं होगी । नियमित पद उपलब्ध होने पर इन कर्मचारियों को वरीयता के आधार पर समायोजित किया जायेगा जो नियुक्ति या पदोन्नति नहीं मानी जायेगी । समायोजन की दिनांक से नियमित	**संस्थापन**

	रूप से सेवारत माने जायेगें । (ब) प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 01.07.2005 के निर्णय संख्या 17/27 की अनुपालना में माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2005/1282 दनांक 16.07.2005 के तहत विश्वविद्यालय में न्यूनतम वेतनमान एवं उस पर देय अन्य भत्ते प्राप्त करने वाले कार्मिकों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिये जाने के आदेश किये गये। इन कार्मिकों को किसी तरह का एरियर का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा न ही इनका नोशनल फिक्सैशन किया जावेगा। यदि ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समीक्षा करने पर संतोषप्रद नहीं पाई जाती है तो इन्हें नोटिस देकर कार्यमुक्त कर दिया जावेगा । ये आदेश दिनांक 01.07.2005 से प्रभावी होंगे। उपरोक्त कार्मिकों को प्रबन्ध मंडल के निर्णय के अध्यधीन नियमित पद उपलब्ध होने पर वरियता के आधार पर समायोजित किया जायेगा । इस समायोजन को नियुक्ति या पदोन्नति नहीं माना जायेगा । समायोजन की दिनांक से इन्हें नियमित रूप से सेवारत माना जायेगा । (स) प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 27.11.2009 का निर्णय, "सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय पारित किया जा चुका है कि किसी भी कर्मचारी को उसके नियमित होने की तिथि से ही चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा सकता है", अतः इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया । चूँकि इन कार्मिकों को चयनित वेतनमान के अलावा उपरोक्त निर्णयों के आधार पर नियमित कार्मिकों की भाँति समस्त परिलाभ (वेतनवृद्धि, डी.ए./मकान किराया भत्ता, समस्त प्रकार के अवकाश, भवन निर्माण एवं वाहन अग्रिम एवं अन्य देय परिलाभ) दिये जा रहे हैं। अतः सहायक कर्मचारियों की मांग पर विचार करने हेतु प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में रखे जाने हेतु मद निम्नानुसार प्रस्तुत है :- 1. प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 01.07.2005 के निर्णय संख्या 17/27 की अनुपालना में विश्वविद्यालय में न्यूनतम वेतनमान एवं उस पर देय अन्य भत्ते प्राप्त करने वाले कार्मिकों को वार्षिक वेतनवृद्धि दिये जाने की दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने हेतु सहानुभूति पूर्वक विचारार्थ । 2. इन कार्मिकों को वार्षिक वेतनवृद्धि दिये जाने की दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने की स्थिति में किसी तरह के एरियर का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा न ही इनका नोशनल फिक्सैशन किया जावेगा । यदि ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समीक्षा करने पर संतोषप्रद नहीं पाई जाती है तो इन्हें नोटिस देकर कार्यमुक्त कर दिया जावेगा। ये आदेश दिनांक 01.07.2005 से प्रभावी होंगे, यथावत् लागू रहेंगें । **3.** उपरोक्त कार्मिकों को प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय के अध्यधीन नियमित पद उपलब्ध होने पर वरियता के आधार पर समायोजित किया जायेगा । इस समायोजन को नियुक्ति या पदोन्नति नहीं माना जायेगा । समायोजन की दिनांक से इन्हें नियमित रूप से सेवारत माना जायेगा ।	
निर्णय	**निर्णय सं0 9 में गठित समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं. 17	विश्वविद्यालय कार्मिक श्री महेश कुमार यादव, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा दिनांक 04.02.2013 को मोटर एक्सीडेन्ट में दुर्घटनाग्रस्त होने तथा पैर में गम्भीर मल्टीपल	**वित्त एवं लेखा**

फैक्चर होने के फलस्वरूप प्रथमतः राजकीय जे.एल.एन.चिकित्सालय, अजमेर में चिकित्सा परिचर्या कराने एवं उसके पश्चात उनके परिजनों द्वारा जयपुर स्थित डॉ0 चौहान आर्थोपेडिक सेन्टर, झोटवाड़ा रोड़, जयपुर से कराए गए इलाज हेतु चिकित्सा व्यय की राशि रू0 77,522/- के पुनर्भरण हेतु निवेदन किया गया है:-

(i) **Medical Reimbs.Bill Rs.31002/-**

4.2.13 से 9.2.13 की अवधि के दौरान डॉ0 चौहान आर्थोपेडिक सेन्टर, झोटवाड़ा रोड़,जयपुर में अंतरंग रोगी के रूप में भर्ती रहने एवं आपरेशन के समय के खर्चे।

(ii) **Medical Reimbs.Bill Rs.7360/-**

आपरेशन के पश्चात 4.6.13 से 17.08.13 की अवधि के दौरान डॉ0 चौहान आर्थोपेडिक सेन्टर, झोटवाड़ा रोड़, जयपुर से परामर्श, चैकअप, प्लास्टर, एक्सरे आदि के खर्चे के बिल।

(iii) **Medical Reimbs.Bill Rs.2906 /-**

14.09.13 एवं 01.11.13 को पुनः उक्त चिकित्सालय में परामर्श तथा एक्स-रे एवं ओषधियों के खर्चे के बिल।

(iv) **Medical Reimbs.Bill Rs.35804 /-**

16.12.13 से 21.12.13 की अवधि के दौरान पुनः डॉ0 चौहान आर्थोपेडिक सेन्टर, झोटवाड़ा रोड़, जयपुर में Removal of 2 Ender's Nails के आपरेशन का 30850/- का खर्चा एवं शेष राशि में अन्य चिकित्सकीय परामर्श एवं ओषधियों का मूल्य सम्मिलित है।

(v) **Medical Reimbs.Bill Rs.450 /-**

दिनांक 15.03.14 को उक्त चिकित्सालय में ही एक्स-रे कराये जाने का तथा परामर्श शुल्क। **कुल राशि रू0 77,522/-**

प्रार्थी कार्मिक द्वारा उपरोक्त वर्णित चिकित्सा परिचर्या नियमों के अन्तर्गत गैर अनुमोदित निजी चिकित्सालय में ली गई है एवं चिकित्सा की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय चिकित्सा परिचर्या नियमों तथा राज्य सरकार के चिकित्सा परिचर्या नियमों के अन्तर्गत गैर अनुमोदित निजी चिकित्सालयों से ली गई चिकित्सा परिचर्या हेतु पुनर्भरण का प्रावधान नहीं था तथापि दिनांक 16.09.13 की राज्य सरकार की अधिसूचना को विश्वविद्यालय के चिकित्सा परिचर्या पुनर्भरण नियमों में प्रवृत्त किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 16.09.13 से ही नियम 11 के अन्तर्गत आपातकालीन परिस्थितियों में निजी चिकित्सालयों में भर्ती रहने का आपात प्रकृति के संबंध में उपचार करने वाले चिकित्सक के प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित व कर्मचारी का शपथ पत्र प्रस्तुत होने पर ही परिशिष्ट 9 व 13 की विहित सीमा तक चिकित्सा पुनर्भरण किए जाने का प्रावधान किया गया है।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा उनके प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया गया है कि दुर्घटनाग्रस्त होकर फैक्चर होने की आपात स्थिति तथा परिवारजनों के साक्षर नहीं होने एवं कार्यालयिक नियमों से अनभिज्ञ होने के कारण उक्त निजी गैर अनुमोदित चिकित्सालय में परिचर्या ली गई।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा उपचार लेने के पूर्व आपात स्थिति संबंधी चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया एवं प्रकरण पूर्व अनुच्छेद के तहत प्रभावी नियमों की पूर्व अवधि का है।

अतः प्रार्थी के निवेदन के आधार पर मा. कुलपति महोदय की अनुमति से इस

	प्रकरण विशेष को प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रांसगिक प्रकरण में कार्मिक के अल्पवेतन भोगी होने, मल्टीपल फ्रेक्चर होने संबंधी दुरूह स्थिति, कार्मिक के परिवारजन के साक्षर नहीं होने के कारण निजी गैर अनुमोदित चिकित्सालय में चिकित्सा परिचर्या करा लिये जाने संबंधी तथ्य को ध्यान में रखते हुए बतौर विशेष प्रकरण आपात स्थिति संबंधी प्रमाण पत्र की आवश्यकता के प्रावधान में शिथिलिता प्रदान करते हुए एवं चिकित्सा परिचर्या की तिथि/अवधि दिनांक 16.09.13 से पूर्व की होने के उपरान्त भी दिनांक 16.09.13 से प्रवृत्त प्रावधानों के तहत विहित सीमा में चिकित्सा परिचर्या व्यय की राशि के पुर्नभरण के संबंध में विचार कर अधिनियम की धारा 42 के तहत प्रबन्ध बोर्ड की अवशिष्टीय शक्तियों का उपयोग कर चिकित्सा परिचर्या पुर्नभरण की निहित सीमा में पुनर्भरण संबंधित कार्मिक को किए जाने की अनुमति प्रदान कराया जाना निवेदित है।	
निर्णय	**अल्प वेतनभोगी कर्मचारी की स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सा परिचर्या व्यय की राशि का पुनर्भरण का निर्णय लिया गया साथ ही भविष्य में ऐसे प्रकरणों में तत्काल निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**	
मद सं. 18	प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 28 दिसम्बर, 2002 की अनुशंषा संख्या 24 की अनुपालना में माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/2005/1608-16 दिनांक 05.10.2005 के द्वारा दिनांक 01.09.1998 से प्रयोगशाला परिचर का वेतनमान 2550-3200 के स्थान पर 2650-4000 पुनरीक्षित करते हुए प्रभावी किया गया तदनुसार ही समस्त प्रयोगशाला परिचरों का वेतन नियतन कर दिया गया । विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रयोगशाला परिचरों ने निवेदन किया है कि उनकी वेतन श्रृंखला जो दिनांक 01.09.1998 से परिवर्तित कर 2650-4000 की गई थी, को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक वर्ष 1994 से परिवर्तित की जाकर वेतन नियतन किया जाये । प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	**संस्थापन**
निर्णय	**प्रस्ताव को अनुमोदित किया।**	
मद सं. 19	विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/ 2009/ 54842 दिनांक 16.12.2009 द्वारा प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 28 दिनांक 27.11.2009 में अनुमोदित राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग (ग्रुप-4) के पत्र क्रमांक एफ 1 (1) शिक्षा-4/2008 दिनांक 27.10.2009 के माध्यम से विश्वविद्यालय मे कुलपति/शिक्षकों (प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर), प्रस्तकालयाध्क्ष, निदेशक-शारीरिक शिक्षा आदि के वेतनमान को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत करने हेतु जारी की गई । आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर का (संशोधन) क्रमांक एफ 1 (102) पीएस/निकाशि/13/पार्ट/3077 दिनांक 21.06.2016 में Rajasthan Civil Service (Revised Pay for Government College Teachers Including Librarians & PTIs) Rules 2009, के उपबन्ध 11 के अनुसरण में एक पे-बैण्ड से दूसरे पे-बैण्ड में परिवर्तन होने की स्थिति में आगामी वार्षिक वेतनवृद्धि 06 माह की न्यूनतम सेवा होने की बाध्यता नहीं है, को विश्वविद्यालय में प्रवृत मान्य कर तद्नुसार पे-बैण्ड परिवर्तन होने की स्थिति में आगामी वेतनवृद्धि 01जुलाई को दिये जाने पर विचार कर विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रभावित शिक्षकों को 01 जुलाई, 2007 की वेतनवृद्धि स्वीकृत करने पर विचार कर निर्णय लेना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-16)**	**संस्थापन**

निर्णय	**आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के संशोधनानुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रभावित शिक्षकों को 01 जुलाई, 2007 की वेतनवृद्धि स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं. 20	विश्वविद्यालय में कार्यरत वाहन चालकों ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके द्वारा एक ही पद पर प्रथम नियुक्ति से 18 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर वेतन श्रृंखला 5000-8000 के स्थान पर 5500-9000 प्रदान की जाये । वित्त एवं लेखा अनुभाग से प्राप्त टिप्पणी अनुसार वित्त विभाग के आदेशानुसार वाहन चालक को 18 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान के रूप में 5000-8000 की वेतन श्रृंखला देय बनती है न कि 5500-9000 प्रबन्ध बोर्ड की 54वीं बैठक दिनांक 28.12.2002 के निर्णय संख्या 03 की अनुशंषा संख्या 08 एवं 09 में जिन पदों की वेतन श्रृंखला प्रदेश के दो या दो से अधिक विश्वविद्यालय संशोधित कर चुके है, उन पदों की वेतन श्रृंखला तदनुसार इस विश्वविद्यालय में भी संशोधित करने का निर्णय किया गया था । राज्य के दो विश्वविद्यालय क्रमशः राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर एवं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा में वाहन चालक को वेतन श्रृंखला 5500-9000 दी जा रही है। जिसके आधार पर प्रबन्ध बोर्ड की अनुशंषा अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत वाहन चालकों ने 18 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर वेतन श्रृंखला 5000-8000 के स्थान पर 5500-9000 देने हेतु निवेदन किया है । उपरोक्त तथ्यों एवं स्थिति से अवगत होते हुए वाहन चालकों को वेतन श्रृंखला 5000-8000 के स्थान पर 5500-9000 देने के संबंध में प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	**संस्थापन**
निर्णय	**प्रस्ताव को अनुमोदित किया।**	
मद सं. 21	दिनांक 19.05.2016 को आयोजित 47वीं भवन निर्माण समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-17)**	**अभियन्ता कार्यालय**
निर्णय	**दिनांक 19.05.2016 को आयोजित 47वीं भवन निर्माण समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**	
मद सं. 22	विश्वविद्यालय के सामान्य प्रावधायी निधि के नियम 14(2) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ब्याज दर के निर्धारण हेतु गठित समिति की दिनांक 13.08. 2016 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर विचार करना।**(कार्यसूची का परिशिष्ठ-18)**	**वित्त एवं लेखा**
निर्णय	**विश्वविद्यालय के सामान्य प्रावाधायी निधि के नियम 14(2) के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ब्याज दर का निर्धारण करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 13.08.2016 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान किया गया।**	
मद सं. 23	प्रतिवेदन है कि, विश्वविद्यालय में अनुभागाधिकारी/सहायक अनुभागाधिकारी/वरिष्ठ लिपिक को वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2004-2005 तथा वर्ष 2005 से आगामी वर्षों के रिक्त पदों से संबंधित प्रकरण मद संख्या 39 व मद संख्या 04 द्वारा क्रमशः प्रबंध बोर्ड की 85वीं (दिनांक 23-12-2014) व 86वीं बैठक (दिनांक 09-06-2015) में विचारार्थ व निर्णयार्थ रखे गये लेकिन दोनों ही बैठकों में इसे अगली बैठक में प्रस्तुत करने हेतु स्थगित किया गया।	**संस्थापन**

उक्त प्रकरण के संबंध में लेख है कि:-

प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 08-01-2010 के निर्णय संख्या 21 के अनुसार वर्ष 2005 में वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2004-2005 तक की अवधि में रिक्त रहे अनुभागाधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक के पदों पर 66 प्रतिशत (वरीयता कम योग्यता अनुसार) विभागीय पदोन्नति समिति और 34 प्रतिशत पदों पर (योग्यता कम वरीयता अनुसार) विभागीय चयन समिति आयोजित करके वर्षवार पदोन्नति के स्थान पर वर्ष 2005 से पदोन्नति दिये जाने के कारण इस अवधि (वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2004-2005 तक) में रिक्त पदों की नियमानुसार वर्षवार विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित की जाये तथा यह भी निर्णय किया कि एरियर का भुगतान नहीं किया जाये तथा वर्ष 2005-2006 से वर्षवार पदोन्नति की जावे।

उक्त निर्णय अनुसार निम्नांकित कार्यवाही होनी थी:-

(क) वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2004-2005 तथा 2005-2006 से आगामी वर्षों में 66 प्रतिशत कोटा में रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति करके वर्षवार पदोन्नति।

(ख) वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2004-2005 तथा 2005-2006 से आगामी वर्षों में 34 प्रतिशत कोटा में रिक्त पदों पर विभागीय चयन समिति करके वर्षवार पदोन्नति।

<u>66 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत की गई डी0 पी0 सी0 का उल्लेख:-</u>

(क) अनुभागाधिकारी/सहायक अनुभागाधिकारी के 66 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत रिक्त पदों पर वर्षवार पदोन्नति प्रक्रिया वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2015-2016 तक पूर्ण हो चुकी है एवं माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन पश्चात् पदोन्नति कार्यालय आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(ख) वरिष्ठ लिपिक के 66 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत रिक्त पदों पर वर्षवार पदोन्नति प्रक्रिया वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2012-2013 तक पूर्ण हो चुकी है व माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन पश्चात् कार्यालय आदेश जारी किये जा चुके हैं।

<u>34 % कोटे के अंतर्गत की गई कार्यवाही (डी.एस.सी. का उल्लेख):-</u>

1. वर्ष 2006 में दिनांक 09-01-2006 को वर्ष 1997-98 के 34 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत रिक्त सहायक अनुभागाधिकारी के पदों पर विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस समिति की बैठक में जो रोस्टर उपयोग में लिया गया उसके अनुसार एक अनुसूचित जनजाति एवं एक सामान्य वर्ग का पद रिक्त था और इन पदों पर एक सामान्य व एक अनुसूचित जनजाति के कार्मिक की पदोन्नति की अनुशंषा की गई थी। इसके आधार पर इन दोनों कार्मिकों का दिनांक 10-01-2006 से वेतन नियतन किया जाकर इन्हें वित्तीय लाभ प्रदान किये जा रहे हैं।

2. वर्ष 2010 में दिनांक 29-09-2010 को पुनः 34 प्रतिशत कोटे के सहायक अनुभागाधिकारी के रिक्त पदों पर चयन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वर्ष 1991 के एक एस0 सी0 केटेगरी के रिक्त पद व 1997-98 के अनारक्षित पद को एक साथ करते हुए वर्ष 1997-98 से एक अनारक्षित एवं एक एस0 सी0 के पद पर क्रमशः सामान्य व अनुसूचित जाति के कार्मिक को पदोन्नति दी गई। इसके आधार पर सामान्य वर्ग के कार्मिक को दिनांक 31-03-1998 से नोशनल फिक्सेशन का बेनिफिट एवं दिनांक 09-10-2010 कार्य ग्रहण दिनांक से वित्तीय लाभ

दिया गया है। दूसरे अनुसूचित जाति के कार्मिक को 31-03-1998 से नोशनल फिक्सेशन का बेनिफिट एवं ज्वाइनिंग की दिनांक 12-12-2005 से वित्तीय लाभ प्रदान किये जा रहे हैं। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-23)**

3. माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 20 मार्च, 2006 की अनुपालना में वरिष्ठ लिपिक के 34 प्रतिशत कोटे के रिक्त पदों पर 04 कार्मिक (02 अनुसूचित जाति, 02 अनुसूचित जनजाति को कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नत किया गया। इनकी चयन प्रक्रिया भी पुनरीक्षित होनी है।

<u>विवादित बिन्दुः-</u>

1. सहायक हेतु की गई दोनों चयन समिति की बैठकों से स्पष्ट है कि वर्ष 1997-98 के सहायक अनुभागाधिकारी के दो रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु दो बार वर्ष 2006-07 में दिनांक 09-01-2006 व वर्ष 2010 में दिनांक 29-09-2010 को विभागीय चयन समिति की बैठकें आयोजित की गई व अलग-अलग कार्मिकों को पदोन्नति दी गई।

2. दिनांक 04-10-2013 को वर्ष 1997-98 से 2012-2013 तक की वर्षवार 66% कोटे के अंतर्गत सहायक अनुभागाधिकारी के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु जो रोस्टर काम में लिया गया है उसके अनुसार वर्ष 1997-98 में 34 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत सहायक अनुभागाधिकारी का एक भी पद रिक्त नहीं है। (कार्यसूची का परिशिष्ठ-24)

3. दिनांक 29-09-2010 को की गई सहायक अनुभागाधिकारी पद की विभागीय चयन समित को प्रबंध मण्डल की पुष्टि हेतु तीन बार दिनांक 26-03-2011, दिनांक 08-08-2011, दिनांक 23-02-2012 को प्रबंध मण्डल की बैठक में रखा गया एवं इस मद को प्रबंध मण्डल की आगामी बैठक हेतु स्थिगित किया गया। तत्पश्चात प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 23-12-2014 के द्वारा याचिका क्रमांक 13926/2010 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन पुष्टि की गई। प्रकरण प्रबंध बोर्ड की 86वीं बैठक में पुनः रखा गया व इसे आगामी प्रबंध बोर्ड की बैठक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया। जबकि इससे पूर्व दिनांक 09-01-2006 को हुये चयन को अभी प्रबंध बोर्ड के निर्णय हेतु लंबित रखा गया है।

अतः उपर्युक्त वस्तुस्थिति से अवगत होना एवं निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार कर निर्णय करनाः-

(अ) सहायक अनुभागाधिकारी व वरिष्ठ लिपिक के 34 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत रिक्त पदों की गई पदोन्नति की अनुशंषाओं पर विचार, कर निर्णय करना ताकि विसंगति को दूर किया जा सके।

(ब) दिनांक 08-01-2010 के निर्णय में वर्षवार विभागीय चयन समिति की बैठकें अब करके भूतलक्षी प्रभाव से वर्षवार चयन 34 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत किया जाना व्यवहारिक एवं विधिसम्मत प्रकट नहीं होता क्योंकि नियुक्ति/चयन पूर्व प्रभाव से नहीं होता तथा तत्समय जो व्यक्ति इस कोटा के योग्य थे वे सेवानिवृत्त या पदोन्नत हो चुके हैं यदि वे तत्समय आवेदक बनते तो उनका पदोन्नति कोटा में आने या नहीं आने से पहले चयन हो सकता था। इस निर्णय पर पुनर्विचार करके

	उपयुक्त निर्णय प्रदान करना जिससे कि 34 प्रतिशत अभ्यांश के रिक्त पदों को भरा जा सके। **(स)** वरिष्ठ लिपिक/सहायक/लेखाकार/अनुभागाधिकारी के पद जो आंतरिक कर्मियों से 02 माध्यमों (66 प्रतिशत पद विभागीय पदोन्नति समिति से 34 प्रतिशत पद विभागीय चयन समिति) से भरे जाते हैं, उन प्रक्रियाओं में होने वाली जटिलताओं, आंशकाओं, विवादों एवं विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए, शत-प्रतिशत पदों को विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरे जाने पर विचार कर निर्णय करना एवं वित्तीय वर्ष 2016-2017 से तदनुसार पदोन्नति नियमों को संशोधित करने पर विचार करना जिससे कि समय रहते हुए आवश्यकतानुसार रिक्त पदों पर पदोन्नति दी जा सके तथा रिक्त पदों के समाप्त होने की संभावना समाप्त हो सके।	
निर्णय	**निर्णय लिया कि वर्ष 1997-98 से 2015-16 तक 34% कोटे के अन्तर्गत आयोजित सभी डी.एस.सी. से सम्बन्धित विवादित मुददे निर्णय सं.9 के अनुसार गठित समिति में रखे जावें। वर्ष 1997-98 से 2015-16 तक के 34% कोटे के रिक्त पड़े वरिष्ठ लिपिक/सहायक अनुभाग अधिकारी व अनुभाग अधिकारी के पदों को इकजाई करते हुए वर्ष 2016-17 में डी.एस.सी. आयोजित की जावे। वर्ष 2017-18 से समस्त पद 100% वरिष्ठता सह योग्यता से भरे जावे। इस हेतु नियमों में संशोधन किया जावे।**	
मद सं. 24	माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षान्त समारोह दिनांक 01 अगस्त, 2016 के दौरान अपने उद्बोधन में दयानन्द शोध पीठ स्थापित करने के निर्देश प्रदान किये गये है । तद्नुसार दयानन्द शोध पीठ गठित करने पर विचार करना।	**शैक्षणिक -।**
निर्णय	**विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह दिनांक 01 अगस्त, 2016 के अवसर पर माननीय कुलाधिपति के महर्षि दयानन्द शोधपीठ खोलने के निर्देशों की अनुपालना में बोर्ड द्वारा उक्त पीठ खोलने का निर्णय लिया।**	
मद सं.25	माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट सत्र के दौरान नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रय प्रारम्भ करने तथा सीट अभिवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसके आदेश बजट सत्र समाप्ति के पश्चात् जारी किये जाते हैं एवं विश्वविद्यालय को उक्त राजकीय महाविद्यालयों से बिना विलम्ब शुल्क आवेदन स्वीकार किये जाने बाबत् निर्देशित किया जाता है। इस सम्बन्ध में लेख है कि विश्वविद्यालय अध्यादेश 70-ए(8)(i) के प्रावधानानुसार आगामी सत्र हेतु नवीन सम्बद्धता/अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि/स्थायी सम्बद्धता हेतु निर्धारित सम्बद्धता शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 31 दिसम्बर तक विश्वविद्यालय में प्राप्त होना आवश्यक है। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर उक्त प्रावधानानुसार विलम्ब शुल्क देय है। **(अध्यादेश 70-ए(8)(i) कार्यसूची का परिशिष्ठ-22)** चूंकि राज्य सरकार द्वारा नवीन महाविद्यालय खोलने एवं संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रय प्रारम्भ करने के आदेश बजट सत्र समाप्ति के पश्चात् जारी किये जाते हैं, जो कि 31 दिसम्बर के पश्चात् ही होते हैं एवं विश्वविद्यालय को उक्त राजकीय महाविद्यालयों से बिना विलम्ब शुल्क आवेदन स्वीकार किये जाने बाबत् निर्देशित किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय अध्यादेश 70-ए(8)(i) में वर्णित विलम्ब शुल्क सम्बन्धी प्रावधान	**शैक्षणिक -।।**

	में शिथिलता प्रदान करते हुए सत्र 2015-2016 एवं आगामी सत्रों से ऐसे राजकीय महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की दिनांक से 2 माह की अवधि में बिना विलम्ब शुल्क के आवेदन करने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**राज्य सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठयक्रम चलाने, सीट अभिवृद्धि तथा नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु विश्वविद्यालय अध्यदेश 70-ए(8)(1) में वर्णित विलम्ब शुल्क संबंधी प्रावधान में शिथिलता प्रदान करते हुए सत्र 2015-16 एवं आगामी सत्रों से ऐसे राजकीय महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की दिनांक से 2 माह की अवधि में बिना विलम्ब शुल्क के आवेदन करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सदस्य, प्रबंध बोर्ड एवं विधायक श्री शत्रुघ्न गौतम के सुझावानुसार कतिपय निजी महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से मनमर्जी शुल्क वसूली को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त निजी महाविद्यालय अपने मुख्य सूचनापट् पर महाविद्यालय द्वारा लिये जा रहे समस्त शुल्कों का विवरण प्रदर्शित करने तथा दो माह में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक जिले के पाँच निजी महाविद्यालयों का औचक निरीक्षण कराया जावे।**	
मद सं.26	विद्या परिषद् की 54वीं बैठक दिनांक 27.08.2016 के कार्यवृत्त पर विचार करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-26)**	**शैक्षणिक -।**
निर्णय	**विद्या परिषद की 54वीं बैठक दिनांक 27.08.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**	
मद सं.27	प्रबन्ध बोर्ड की 79वीं बैठक दिनांक 3.12.2012 के मद सं.04 में विशेष येग्यजन (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995) के तहत् राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21.7.2011 को जारी अधिसूचना के प्रावधानों को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त किए जाने हेतु लिए गए निर्णय केअ नुसार जारी किए गए कार्यालय आदेश क्र.एफ.1( )संस्था/मदसवि/2013/10884 दिनांक 20.3.20103 तथा प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में रखे गए मद में अधिनियम 1995 के स्थान पर अधिनियम 1955 अंकित हो गया, जिसके संशोधन हेतु मद प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक में प्रतिवेदनार्थ रखे जाने हेतु प्रस्तुत है।	**संस्थापन**
निर्णय	**प्रबंध मंडल की 79वीं बैठक दिनांक 03.12.2012 के मद सं.04 में मद में अधिनियम 1955 के स्थान पर 1995 संशोधित करने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं.28	विश्वविद्यालय के योग विज्ञान एवं मानव चेतना विभाग में विवेकानन्द योग केन्द्र अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर से संविदा पर कार्यरत योग प्रशिक्षकों से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 12-08-2016 में समेकित पारिश्रमिक 50,000/- व निशुल्क आवास+10 प्रतिशत की प्रति वर्ष वेतनवृद्धि के साथ समेकित पारिश्रमिक दिये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 01-12-2014 में निम्न मद व निर्णय लिया गयाः-	**संस्थापन**

मद	निर्णय

	विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान के पत्र क्रमांकVYASA/MOPU/MDS-University/ 20-12-2015 दिनांक 06 दिसम्बर, 2014 एवं फैक्स VYASA/014-205/134 दिनांक 17-12-2014 (प्रतिलिपि मय संलग्नक **कार्य सूची का परिशिष्ठ—** xxxxxxxxx) संलग्न है, के साथ प्राप्त संशोधित अनुबंध तथा विश्वविद्यालय के योग विज्ञान एवं मानव चेतना विभाग में उक्त संस्थान से हुए अनुबंध के अंतर्गत सेवारत योग प्रशिक्षकों डॉ0 लारा शर्मा और श्रीमती असेम जयन्ती को दिनांक 01-7-2009 से व्याख्याता पदोन्नत माने जाने और संस्थान द्वारा किये गये वेतन नियतन के अनुसार पारिश्रमिक दिये जाने के दस्तावेजों पर इस प्रकरण के तथ्यात्मक विवरण (**कार्य सूची का परिशिष्ठ- xxxxxxxxxI**) के आधार पर विचार कर निर्णय करना।	**प्रकरण में विचार कर प्रस्ताव दिये जाने हेतु निम्नांकित समिति का गठन किया जाये:-** **1.डॉ0 भगवती प्रसाद शर्मा - संयोजक** **सदस्य प्रबंध बोर्ड** **2.प्रो. जी. के. कलसी कोहली - सदस्य** **सदस्य, प्रबंध बोर्ड** **3.डॉ0 रवीन्द्र भारती -सदस्य सचिव** **उपकुलसचिव (संस्थान)** **निर्णय किया कि समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने और इस प्रकरण पर निर्णय होने तक संबंधित योग प्रशिक्षकों को 01 जनवरी, 2015 से पारिश्रमिक की राशि रूपये 25,000/- प्रति माह स्वीकार की जाती है।**	
	प्रबंध बोर्ड के निर्णय की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक 21572 दिनांक 11-03-2015 द्वारा **योग प्रशिक्षकों का वेतन दिनांक 01-01-2015 से रूपये 13,000/- के स्थान पर रूपये 25,000/- समेकित पारिश्रमिक स्वीकृत किया तथा साथ में मकान किराया भत्ता भी दिया जा रहा है।** बोर्ड द्वारा गठित समिति की बैठक नहीं होने से तथा वर्तमान में संयोजक प्रबंध बोर्ड के सदस्य नहीं हैं तथा सदस्य-सचिव संस्थापन अनुभाग में कार्यरत नहीं हैं। अतः पुनः बैठक गठित करने का मद प्रबंध बोर्ड में पृथक से रखा जा रहा है। राज्य के जगदगुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर जहाँ मात्र डिप्लोमा व प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम संचालित है वहाँ योग सलाहकार एवं प्रशिक्षक को रू. 45,000/- प्रतिमाह + निःशुल्क आवास प्रदान किया जा रहा है। अतः योग प्रशिक्षकों के समेकित पारिश्रमिक के संबंध में मद विचारार्थ व निर्णयार्थ प्रस्तुत है।		
निर्णय	**वर्तमान में योग प्रशिक्षकों को रु.25000/- प्रतिमाह समेकित वेतन देय है। योग प्रशिक्षकों के प्रार्थनापत्र एवं राज्य के जगदगुरू रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर में योग प्रशिक्षक को दिये जा रहे समेकित वेतन रु.45000/-प्र.मा.के अनुसार इस विश्वविद्यालय के योग प्रशिक्षकों को रु.25000/- के स्थान पर रु.45000/- प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिये जाने का निर्णय लिया गया।**		
मद सं.29	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों के भरे जाने हेतु रोस्टर के संबंध में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक प.10(14)शिक्षा-4/2001/पार्ट दिनांक 19-08-2016 में उल्लेख किया है कि बोर्ड/स्वायतशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों के अपने नियम होते हैं, यदि विश्वविद्यालय द्वारा कार्मिक विभाग के परिपत्रादेश दिनांक 20-11-1997 (रोस्टर के संबंध में) प्रावधानों को अपनाया हुआ है तो वह प्रकरण का नियमों के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्रादेश प्रावधानानुसार परीक्षण कर सक्षम स्तर से निर्णय लेकर नियमानुसार समुचित कार्यवाही करें। माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) से प्राप्त पत्र क्रमांक प.14(20) शिक्षा-4/2007/पार्ट दिनांक 26-04-2016 तथा 27-06-2016 को विश्वविद्यालय के रिक्त शैक्षणिक पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की, इस हेतु राज्य सरकार की आरक्षण नीति तथा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार रोस्टर रजिस्टर तैयार करने हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2016/22079 दिनांक 23-08-2016 के क्रम में समिति का गठन किया तथा दिनांक 25-08-2016	**संस्थापन**

	को उक्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त विचारार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**विश्वविद्यालय के रिक्त शैक्षणिक पदों को भरने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में 22 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की स्वीकृति दी है। राज्य सरकार की आरक्षण नीति तथा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार रोस्टर रजिस्टर तैयार करने एवं स्वीकृत पदों पर आरक्षण की स्थिति का निर्धारण करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 22079 दिनांक 23.08.2016 को प्रो. आशीष भटनागर के संयोजन में गठित समिति की बैठक दिनांक 25.08.2016 के कार्यवृत्त का बोर्ड ने अध्ययन किया एवं कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।**	
मद सं.30	विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड द्वारा वर्ष 1998 में आचरण एवं अनुशासन के नियम अनुमोदित किए गए थे। इसके अन्तर्गत शिक्षक का अपने साथी शिक्षकों के सथ किस प्रकार का व्यवहार अपेक्षित है, यह स्पष्टतः नियम संख्या A 16(c) (1 to 6) में अंकित है, जिसमें शिक्षक साथी के लिए गलत पत्र व्यवहार करना, झूठी शिकायतें करना, मीडिया में झूठी खबरों से साथी शिक्षकों की छवि धूमिल करना अपने स्वार्थ हेतु साथी शिक्षक को नुकसान पहुंचाना इत्यादि। इसी के साथ नियम संख्या A 16(d) (a to h) में शिक्षक का अपने नियोक्ता एवं अन्य सक्षम प्राधिकरण (Authorities) के साथ कैसा आचरण हो, यह भी स्पष्टतः अंकित है जैसे कि उचित माध्यम से पत्र अग्रेषित नहीं करना और सीधे उच्च स्तर पर सरकार से पत्र व्यवहार करना, अनाधिकृत व्यक्तियों को गलत सूचनाएं प्रदान करना इत्यादि। विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक द्वारा अनगिनत अवसरों पर आचरण एवं अनुशासन नियमों की पालना नहीं करना, जिससे वर्षों से विश्वविद्याय को हानि भी पहुंच रही है, विकास की गति में बाधा उत्पन्न हो रही है तथा छवि भी धूमिल हो रही है - ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी है, यह प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	**संस्थापन**
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने बोर्ड का ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराया कि विद्या परिषद की 54वीं बैठक दिनांक 27.08.2016में प्रोफेसर रीटा मेहरा के अमर्यादित व्यवहार व अनावश्यक पत्राचार पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया।** **इस पर कुछ शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अमर्यादित व अनुचित व्यवहार की प्रवृति की बोर्ड ने निन्दा की।** **निर्णय लिया गया कि यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी अपने पद की गरिमा एवं विश्वविद्यालय के अनुशासनात्मक नियमों के विपरीत कोई कार्य, अमर्यादित व्यवहार एवं अनावश्यक पत्राचार करते हैं तो माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया कि उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जावे। जिससे विश्वविद्यालय की गरिमा व छवि धूमिल नहीं हो।**	
मद सं.31	विश्वविद्यालय के कई शैक्षणिक विभागों में स्ववित्तपोषी पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों में अधिकांश रूप से विभागाध्यक्ष अथवा विश्वविद्यालय के विभाग का कोई स्थाई शिक्षक, समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं तथा उन्हें समन्वयक होने का प्रतिमाह भुगतान भी मिलता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के शिक्षक अध्यापन कार्य का भी भुगतान अपने नियमित वेतन के अतिरिक्त लेते हैं जिसकी अधिकतम सीमा 25000/- रुपए प्रतिमाह है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी लम्बे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें यू.जी.सी. योग्यताधारी होने पर सम्बद्ध पाठ्यक्रमों	**संस्थापन**

	में कक्षा लेने का अवसर प्रदान किया जाए। अतः स्ववित्तपोषी पाठ्यक्रमों में योग्यताधारी अतिथि शिक्षकों को अधिक अवसर प्रदान कर उनसे शिक्षण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय के स्थाई शिक्षकों की अधिकतम कक्षा एवं भुगतान सीमा पर विचार एवं निर्णय करने हेतु प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रबंध बोर्ड के सदस्यों प्रो. लक्ष्मी ठाकुर, प्रो. बी.पी.सारस्वत एवं प्रो. भारती जैन के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम (एस.एफ.एस.) प्रस्ताव पर प्रबंध बोर्ड ने निर्णय किया किः** **1. विश्वविद्यालय के स्थायी शिक्षकों को उक्त पाठ्यक्रमों में कालांश लेने पर अधिकतम रु.25000/- के स्थान पर अधिकतम रु.10000/-प्रतिमाह होगा।** **2. विभाग एवं विश्वविद्यालय का उक्त पाठयक्रम में हिस्सा वर्तमान में 70-30 के स्थान पर 60-40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं0 32	विश्वविद्यालय (समस्त विभाग/अनुभाग) में क्रय की जाने वाली समस्त सामग्री (consumable/permanent) के क्रय उपरान्त निरीक्षण हेतु एक ही अधिकृत केन्दीय निरीक्षण समिति होगी, जो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित एवं निर्धारित नियमों के अन्तर्गत ही संचालित हो। यह समिति स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के क्रय उपरान्त निरीक्षण पर भी लागू होगी, इस पर विचार कर निर्णय करने हेतु प्रस्तावित।	**सामा. प्रशासन**
निर्णय	**प्रबंध बोर्ड के सदस्यों प्रो. लक्ष्मी ठाकुर, प्रो. बी.पी.सारस्वत एवं प्रोफेसर भारती जैन के प्रस्ताव पर प्रबंध बोर्ड ने निर्णय किया कि विश्वविद्यालय प्रशासन एवं शैक्षणिक विभागों (नियमित एवं स्ववित्त पोषित पाठयक्रमों हेतु) क्रय की जाने वाली सामग्री का निरीक्षण विश्वविद्यालय की एक केन्द्रीय निरीक्षण समिति द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को निरस्त माना जावे।**	

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति **कुलसचिव**